

मूल वाद में डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)  
बईजलास श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 7/2019

श्रीमती मोहन कंवर पत्नि श्री देवीदान चारण उम्र वयस्क निवासी पचानपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

बनाम


.....वादीया

01. श्रीमती भंवरी देवी पत्नि श्री रमेशचन्द्र धाकड़ उम्र वयस्क निवासी फतेहनगर, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)  
02. श्रीमती नर्मदा देवी पत्नि श्री शम्भुलाल धाकड़ उम्र वयस्क निवासी फतेहनगर, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)  
03. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

..... प्रतिवादीगण

- उपस्थित :- 1. श्री सुमित कुमार जोशी - अधिवक्ता वादीया  
2. श्री नितिन सासवत - अधिवक्ता प्रतिवादीगण

डिक्री दिनांक :- 05/09/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां बहाजरी वादीया अधिवक्ता श्री सुमित कुमार जोशी व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री नितिन सासवत हुकम दिया जाता है कि वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता हैं। पक्षकार खर्चा अपना अपना वहन करे। डिक्री मुर्तिव 


नीज ..... Nil ..... मुबलिंग ..... Nil ..... बावत् ..  
..... Nil ..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil ..... फीस दी  
सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... Nil ..... का  
अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05 माह 09 वर्ष 2019 को  
किया गया।



  
(विकास पंचोली)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	-		स्टाम्प अरजीदया	-	
स्टाम्प वकीलात नामा	-		स्टाम्प वकीलात नामा	-	
स्टाम्प वजह सबूत	-		स्टाम्प वजह सबूत	-	
महनताना वकील ( )	-		महनताना वकील ( )	-	
खर्चा गवाह	-		खर्चा गवाह	-	
फीस कमीशनर	-		फीस कमीशनर	-	
बावत् इजराय हुकमनामा	-		बावत् इजराय हुकमनामा	-	
मुनफरिक	-		मुनफरिक	-	
मीजान			मीजान		

  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा